730

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

दिनांक 3 जनवरी, 2008

क्रमांक:एफ–14/27/06/बयालीस–1 राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्रों के लिए विशेष कोचिंग व्यवस्था के लिए शिक्षकों को पूर्व में स्वीकृत प्रति पीरियड मानदेय की दरों को पुनरीक्षित कर निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

स.क्र.	विवरण	वर्तमान में प्रचलित पारिश्रमिक की दरें	पारिश्रमिक की पुनरीक्षित दरें
1.	अनुसूचित जाति/जनजाति की विशेष कोचिंग कक्षाओं का पारिश्रमिक	रू. 80.00 प्रति पीरियड	रू. 160.00 प्रति पीरियड
2.	विशेष कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था हेतु भृत्य के लिये प्रति कक्षा दिवस के मान से	रू. 8.00 प्रतिदिन	रू. 20.00 प्रतिदिन

2/ संस्था में किसी कारण विशेष से नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता होने पर ही बाह्य शिक्षकों यथा सेवानिवृत्त शिक्षकों/उद्योगों अथवा संगठनों में कार्यरत् विषय विशेषज्ञों को भी विशेष कोचिंग कक्षाओं के संचालन हेतु अनुबंधित किया जा सकता है। बाह्य शिक्षकों को उपरोक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त वाहन भत्ता 60/– रूपये प्रति कक्षा दिवस देय होगा। केवल ऐसे बाह्य शिक्षकों को ही शिक्षण का कार्य दिया जा सकता है जो संबंधित विषय हेतु ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित योग्यता को पूर्ण करते हों।

3/ पुनरीक्षित दरें आदेश जारी होने की तिथि से देय होगा तथा इस पर होने वाला व्यय स्वीकृत बजट से किया जाएगा।

4/ यह स्वीकृति आदिम जाति तथा अनुसूचित कल्याण विभाग की जावक टीप एफ: क्र. /2401/पीएस/टीडब्ल्यूडी/एससीडी/06 दिनांक 3/09/2007 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

3/1/08

(चन्द्रा धुर्वे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

3/1/08

क्रमशः......2/

731

पृष्ठांकन:एफ-14/27/06/बयालीस-1 भोपाल दिनांक 3 जनवरी, 2008

1. तीन अतिरिक्त प्रति सहित सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर ज्ञापन की प्रति महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को पृष्ठांकित करने के लिए भेजी जाती है।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल को समस्त संबंधित संस्थाओं को अवगत कराने एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

3/1/08

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

3/1/08

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक जनवरी, 2008

क्रमांक:एफ–14/27/06/बयालीस–1 इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जनवरी, 2008 की कंडिका–2 की पंक्ति 3 एवं 4 में अंकित निम्न अंश को विलोपित किया जाता है:–

"बाह्य शिक्षकों को उपरोक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त वाहन भत्ता 60/– रूपये प्रति कक्षा दिवस देय होगा।"

अर्थात् अब बाह्य शिक्षकों को पारिश्रमिक के अतिरिक्त वाहन भत्ता देय नहीं होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रा धुर्वे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

पृष्ठांकन:एफ–14/27/06/बयालीस–1 भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 2008

1. तीन अतिरिक्त प्रति सहित सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर ज्ञापन की प्रति महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को पृष्ठांकित करने के लिए भेजी जाती है।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल को समस्त संबंधित संस्थाओं को अवगत कराने एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

17/1/08
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

17/1/08

dd Secy\Yojna\SC&ST schemes\SC&ST Special coaching allowance amend.doc